न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 02/19 **सन् 2019**

आरसीएमएस संख्या 2019/00005

बउनवानीः—

1. मोत्या देवी पत्नि स्व0 श्री सोहन लाल मीना,आयु 65 वर्ष निवासी पितृ छाया भवन म.सं. 12, आर्दश नगर बापू कॉलोनी के पास रंगपुर रोड़ कोटा जंक्शन, कोटा(राज.)
2. ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल मीना,आयु 42 वर्ष निवासी पितृ छाया भवन म.सं. 12, आर्दश नगर बापू कॉलोनी के पास रंगपुर रोड़ कोटा जंक्शन, कोटा(राज.)
3. प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल मीना,आयु 39 वर्ष निवासी पितृ छाया भवन म.सं. 12, आर्दश नगर बापू कॉलोनी के पास रंगपुर रोड़ कोटा जंक्शन, कोटा(राज.)
4. मनोज कुमार पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल मीना,आयु 50 वर्ष निवासी पितृ छाया भवन म.सं. 12, आर्दश नगर बापू कॉलोनी के पास रंगपुर रोड़ कोटा जंक्शन, कोटा(राज.)
5. लाल विष्णु पुत्र स्व0 श्री जवाहर लाल मीना,आयु 50 वर्ष निवासी केसर कुंज,म.सं. 6, आर्दश नगर बापू कॉलोनी के पास रंगपुर रोड़ कोटा जंक्शन, कोटा(राज.)

बनाम

1. मंगली पत्नि डूंगा मीना, पुत्री किशनलाल, जाति मीना आयु 85 वर्ष, निवासी मुंथला की ढाणियॉ, ग्राम मुण्डिया, तहसील निवाई टोंक, राज.(सवाईमाधोपुर वाली)
2. सोनी पत्नि स्व0ग्यारसिया मीना पुत्री किशन लाल जाति मीना आयु 81 वर्ष, निवासी कोठियॉ की ढाणी, ग्राम मुण्डिया, तहसील निवाई टोंक, राज.(सवाईमाधोपुर वाली)
3. लक्ष्मी बाई पत्नि श्री शिवदास मीना,(एसबीआई बैंक) हाल निवासी प्लॉट सं. 9 पी.डब्ल्यू. आई. के बंगले के पीछे रेल्वे कॉलोनी (बडी लाईन) वृद्विचन्द जी की हवेली के पास रेल्वे स्टेशन सवाईमाधोपुर
4. हेमलता पत्नि श्री कन्हैयालाल आयु 43 वर्ष, पुत्रिया धन्ना लाल जातियान मीना, हाल निवासी पी0डब्ल्यू0आई0 बंगला के पीछे (बडी लाईन) रेल्वे कॉलोनी, रेल्वे स्टेशन सवाईमाधोपुर
5. प्रहलाद मीना पुत्र श्री धन्ना लाल जाति मीना आयु 56 वर्ष, हाल निवासी प्लॉट संख्या4 सूरज नगर, प्रथम आर.सी.दुखिया स्कूल के पास सांगानेर जयपुर
6. चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री धन्ना लाल मीना आयु 49 वर्ष निवासी टीआरडी कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी,पानी की टंकी के पास, सवाईमाधोपुर
7. सब—रजिस्ट्रार सवाईमाधोपुर
8. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 603 निर्णय दिनांक 29.6.2018 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री रघु बंसल — वकील अपीलान्ट

2. श्री विनोद कुमार अग्रवाल — वकील रेस्पो. संख्या 1—6

—: निर्णय :— **दिनांक 16.12.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 603 निर्णय दिनांक 29.6.2018 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द,तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि पक्षकारान के सजरा खानदान के अनुसार किशनलाल मीना के दो पुत्री मंगली देवी एवं सोनी देवी (प्रतिवादिया संख्या 1 व 2 है तथा तीन पुत्र जवाहरलाल, धन्नालाल, सोहनलाल थे। किशनलाल सहित तीनो पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट संख्या 1 सोहनलाल की पत्नि है एवं अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 4 मृतक सोहन लाल के पुत्र है तथा अपीलान्ट संख्या 5 जवाहर लाल का पुत्र है तथा रेस्पो. संख्या 3

डॉ0 एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

लगायत 6 मृतक धन्ना लाल की सन्ताने है। यह तर्क भी दिया कि स्व0 किशनलाल की खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 281 रकबा 1.1100 है0वाके ग्राम जटवाडा खुर्द पटवार हल्का ठींगला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर मे स्थित है। रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 कई वर्षो पूर्व से ही विवाहित होकर अपने–अपने सुसराल जवाहर लाल का पुत्र लाल विष्णु एवं सोहन लाल के वारिसान इस प्रकरण मे अपीलान्ट है तथा धन्ना लाल के वारिसान व सोनी देवी प्रकरण मे रेस्पो. है। चूंकि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति (मीणा जाति)के है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956, की धारा 2(2) के अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अभाव में लागू नही होता है अनूसूचित जनजाति (मीणा जाति) के उत्तराधिकार के मामले में रीति–रिवाज संबंधी कानून अथवा पुराने रूढिगत कानून लागू होते है जिसके तहत पुत्रियों का पिता की सम्पत्ति में कोई हक नही होता है। इस प्रकार विवादित भूमि में जवाहरलाल, धन्नालाल तथा सोहन लाल का 1/3– 1/3 हिस्सा है तथा जवाहरलाल, धन्नालाल तथा सोहन लाल अपने जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान वादग्रस्त भूमि के 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट की सहमति के बिना एवं बिना किसी वैधानिक हक अथवा हकूक के दिनांक 14.6.2018 को चोरी छुपे पैरा संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि मे अपना हिस्सा बताते हुए रेस्पो. संख्या 5 व 6 के पक्ष में हक त्याग करते हुए रिलीज डीड रजिस्टर्ड करवा दी जबकि उक्त कृषि भूमि के 1/3–1/3 हिस्से पर अपीलान्ट काबिज काश्त है। यह तर्क भी दिया कि उक्त कृषि भूमि मे से अपने हिस्से की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु कागजात दिनांक 28.11.2018 को निकलवाये जाने पर आदेश जैर अपील की जानकारी हुई है। अतः जानकारी होने से अन्दर मयाद मय दफा के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 मंगली,सोनी पुत्री किशनलाल एवं लक्ष्मीबाई, हेमलता पुत्री धन्नालाल द्वारा दिनांक 14.8.2018 को अपने हिस्से की कृषि भूमि का जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग क्र.स. 201803318102089 से रेस्पो. संख्या 5 व 6 के पक्ष में किया गया है जिसकी पालना मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 603 दिनांक 29.6.2018 दर्ज फैसल किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। जहॉ तक मीणा जाति में पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार नही होने का प्रश्न है तो अपीलान्ट को किशनलाल के फोत होने के उपरान्त उनके वारिसान के नाम उत्तराधिकार का खोले गये नामा0 को चुनौती दिया जाना चाहिए। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट द्वारा अपील में नामा0संख्या 921 दिनांक 20.5.2012 को निरस्त करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है इसलिए भी अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अतः निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पो. मृतक किशनलाल के विधिक वारिसान है तथा रेस्पो.संख्या 1 लगायत 4 को अपने हिस्से की भूमि को किसी को हस्तानान्तरण करने का अधिकार है इसलिए रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 मंगली,सोनी पुत्री किशनलाल एवं लक्ष्मीबाई, हेमलता पुत्री धन्नालाल द्वारा दिनांक 14.8.2018 को अपने हिस्से की कृषि भूमि का जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग क्र.स. 201803318102089 से रेस्पो. संख्या 5 व 6 के पक्ष में किया गया है जिसकी पालना मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 603 दिनांक 29.6.2018 को दर्ज फैसल किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय में वाद जैरकार है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.30 16:10:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: